09.02.2023	पत्रावली पेश हुई। राज्य की और से पैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी महेन्द्रसिंह की ओर से श्री रामचन्द्रसिंह भाटी अभिभाषक उपस्थित। जवाब आज भी प्रस्तुत नही हुआ। जबकि पूर्व में अन्तिम अवसर चाहा गया था। अतः जवाब देही का अवसर बन्द किया जाता है। पत्रावली सन् 2018 से लम्बित चली रही है। तथा जिसके निस्तारण मे अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। अतः बहस उभय पक्ष प्रकरण में सुनी गयी एवं पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। संक्षेप में प्रकरण से सम्बन्धित आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य ये है कि ग्राम रोही मढ़ तहसील कोलायत के खसरा नम्बर 422 की 0.76 हैक्टर भूमि की खातेदारी हडमानराम पुत्र सहीराम जाति नायक निवासी शिवबाडी तहसील व जिला बीकानेर के नाम है। इस खाते में महेन्द्रसिह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपुत निवासी शिवबाडी तहसील व जिला बीकानेर ईट भट्टा स्थापित कर कृषि भूमि में अकृषिक कार्य कर रहा है। जिसके बाबत हल्का पटवारी व क्षैत्र के भू.अभिलेख ने संयुक्त रूप से मौका रिपोर्ट तहसीलदार कोलायत को प्रस्तुत की और तहसीलदार ने इस आधार पर प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया जाता है। अतः अप्रार्थी की भूमि ग्राम मढ़ तहसील कोलायत के खसरा नम्बर 422 रकबा 0.76 हैक्टर को सिवायचक धोषित कर कब्जा राज लेने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फेशल शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफतर हो निर्णय आज दिनांक 09/02/2023 के सुनाया जाता है। उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला–बीकानेर